न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 191/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/371)

निगरानीकर्ताः–

दल्ले खां पुत्र गेन्दू खां जाति मुसलमान निवासी राहडों की ढाणी, बडला नगर, झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. भंवरू खां पुत्र सफु खां जाति मुसलमान निवासी राहडों की ढाणी, झंवर, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत, बडला नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 25, मिसल संख्या 25/2007 दिनांक 05.09.2007 जो ग्राम पंचायत झंवर के द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड (निगरानीकार की ओर से)।
2. अप्रार्थी सं. 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 23.01.2026**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत झंवर, पंचायत समिति लूणी (वर्तमान पं.स. झंवर) द्वारा मिसल सं. 25/2007 में जारी पट्टा सं. 25 दिनांक 05.09.2007 को संकल्प सं. 01 दिनांक 05.09.2007 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को दल्ले खां द्वारा पेश की गई है।
2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण के नाम समन जारी किये गये। ग्राम पंचायत झंवर से आक्षेपित पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

समन जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे गए। पोस्ट ऑफिस की ट्रेक रिपोर्ट अनुसार, जारी किये नोटिस प्रत्यर्थीगण पर डिलीवर हो गये है, परंतु प्रत्यर्थीगण की ओर से किसी ने भी या स्वयं ने उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश नहीं किया है। अतः तामिल को पर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

3. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी दल्ले खां के पिता गेंदू खां जी की पैतृक पुश्तैनी रहवासीय कब्जासुदा आबादी भूमि की एक जायदाद ग्राम बडलानगर, राहडों की ढाणी, ग्राम पंचायत झंवर (वर्तमान बडला नगर) में आया हुआ है। गेंदू खां जी उस भूखण्ड पर निवास करते थे। जायदाद पर एक पडवा व दो टांके व दरगाह बनी हुई है। प्रार्थी जोधपुर में मजदूरी करता है परंतु जायदाद पर कब्जा प्रार्थी व उसके भाई का ही है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से सांठगांठ करके निगरानीधीन पट्टा गलत रूप से कागजी तौर पर जारी करवा लिया है तथा फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थी की भूमि हडपना चाहता है, जिसे निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की है। प्रार्थी का कथन है कि आक्षेपित पट्टा विधि प्रावधानों के विरूद्ध, बिना प्रकिया अपनाये, फर्जी तौर से अप्रार्थी 1 के नाम जारी किया है क्योंकि आक्षेपित पट्टे की भूमि पर, प्रार्थी के पिता गेंदू खां का 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा व निवास है। पट्टा जारी करने हेतु मौका जांच नहीं की है तथा न ही मिसल या रिकॉर्ड ग्राम पंचायत ने संधारित किया है। प्रार्थी की जायदाद का पट्टा अप्रार्थी 1 स्वयं के नाम व कुछ भूमि का पट्टा, अप्रार्थी 1 की पत्नी हपली के नाम गलत रूप से जारी करवा लिया है। अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित पट्टा को निरस्त किया जावे।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। पट्टा का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत झंवर में उपलब्ध ही नहीं है। ग्राम पंचायत ने लिखित में ऐसा ही जवाब भेजा है। अतः निगरानी को स्वीकार की जाकर, फर्जी पट्टे को निरस्त किया जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया तथा निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

6. (a)पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, प्रार्थी ने निगरानी के साथ ग्राम पंचायत झंवर, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर द्वारा मिसल सं. 25/2007 पट्टा सं. 25 दिनांक 05.09.2007 की फोटो प्रति पेश की है। यह पट्टा 267 वर्गगज का ग्राम पंचायत झंवर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.09.2007 की पालना में उसी दिनांक 05.09.2007 को ही सिर्फ पोलाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत झंवर के हस्ताक्षर से जारी बताया है तथा पट्टा प्रारूप 23 में आपसी बातचीत द्वारा विक्रय बताकर जारी किया गया है। इस पट्टे पर सचिव, ग्राम पंचायत, झंवर के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा पट्टे की शर्त सं. 4 में केता द्वारा 220 रूपये जमा कराने का उल्लेख है परंतु रसीद सं. व तारीख अंकित ही नहीं है।

(b)ग्राम पंचायत झंवर से इस न्यायालय के पत्रांक 207 दिनांक 06.07.2021 से पट्टा सं. 25 दिनांक 05.09.2007, मिसल सं. 25/2007 एवं मूल बैठक रजिस्टर 2007–2008 को मंगवाया गया। उक्त मांग पत्र के प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत झंवर ने पत्रांक 160 दिनांक 10.08.2021 से इस प्रकार रिपोर्ट भेजी है–

मान्यवर जी, उपरोक्त वर्ष 2007–2008 में कार्यालय ग्राम पंचायत झंवर में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पट्टे जारी नहीं किये गये थे।

ह0
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत झंवर,
पं.स. लूणी, जिला जोधपुर

(c)अप्रार्थी सं. 1 भंवरू खां को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर नंबर RR374108881IN दिनांक 14.07.2025 को निगरानी में जवाब व पक्ष पेश करने हेतु नोटिस भेजा गया, जो ट्रेक रिपोर्ट अनुसार, भंवरू खां पर दिनांक 15.07.2025 को S.O. Jhanwar द्वारा डिलीवर हुआ है तथा नियत सुनवाई तिथि 23.07.2025 को भंवरू खां की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है तथा न ही भंवरू खां स्वयं उपस्थित हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अप्रार्थी 1 को प्रकरण में कुछ भी नहीं कहना है। अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(d)राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी अक्षरतः पालना करना आज्ञात्मक है तथा ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्राप्त करके, ग्राम पंचायत की बैठक में संकल्प पारित करने के पश्चात् तीन पंचों की मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन करना, उसके पश्चात् कमेटी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में विचार विमर्श करके, आवेदन पर निर्णय लेने का प्रावधान है तथा नियम 148 में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का एक माह की अवधि भी निर्धारित है। नियम 152 में प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण करने के प्रावधान है। ऐसा अंतरण तभी किया जा सकता

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है, जब निलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं की जा सकती है तथा नियम 144(1)(2) अनुसार भूमि की पट्टी हो तथा एक ही आवेदक हो। साथ ही किसी भी मामले में आबादी भूमि, उप पंजीयक एवं विकास अधिकारी द्वारा नियत, गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी। नियम 156 के उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रकिया अपना कर, अप्रार्थी 1 के नाम पट्टा जारी नहीं किया है तथा मात्र 220 रूपये में 267 वर्गगज भूमि का पट्टा, जो नियम 144(1)(2) अनुसार भूमि की पट्टी नहीं है, फिर भी सरपंच ने अपने स्तर से ही, बिना रिकॉर्ड संधारित किये आक्षेपित पट्टा जारी किया है, जिसका ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यही निष्कर्ष निकलता है कि या तो आक्षेपित पट्टा पर सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करके यह पट्टा जारी किया है या सरपंच ने अपने स्तर से ही बाले–बाले गैर कानूनी तरीके से पद का दुरूपयोग करके यह पट्टा जारी किया है, जिसे किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जा सकता। आपसी बातचीत से भी डी.एल.सी. दर से कीमत वसूली जानी है जबकि इस प्रकरण में मात्र 220 रूपये राशि वसूलना बताया है, जिसका भी ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तथा फर्जी मिसल सं. व पट्टा नंबर अंकित करके पट्टा बनाया गया है, जो विधि की नजर में शून्य होने से खारिज योग्य है तथा ऐसे अवैध व शून्य पट्टे के आधार पर, अप्रार्थी 1 को पट्टे की भूमि पर किसी भी प्रकार के मालिकाना हक, स्वत्व, हित, अधिकार तथा आधिपत्य इत्यादि प्राप्त नहीं हो सकते।

7. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार, यह निगरानी स्वीकार योग्य है तथा आक्षेपित पट्टा निरस्त योग्य है।

आदेश

8. परिणामतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत झंवर, पं.स. लूणी (वर्तमान पं.स. झंवर) द्वारा मिसल सं. 25/2007 में जारी पट्टा सं. 25 दिनांक 05.09.2007, बनाप 267 वर्गगज, बहक श्री भंवरू खां पुत्र सफू खां निवासी राहडों की ढाणी, झंवर (वर्तमान बडलानगर) को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति मय पट्टा की प्रति ग्राम पंचायत झंवर व ग्राम पंचायत बडलानगर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आक्षेपित पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि रजिस्टर में दर्ज की जावे तथा ग्राम पंचायत विधि अनुसार आक्षेपित पट्टे की भूमि का निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. निर्णय की प्रति अप्रार्थी सं. 1 भंवरू खां पुत्र सफु खां जाति मुसलमान निवासी राहडो की ढाणी, बडलानगर, झंवर, जिला जोधपुर को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भेजी जावे।
11. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर